सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

# न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर

## पीठासीन अधिकारीः भवानी सिंह देथा, आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या —119 / 2017 अपील (RCMS/2017/00186)
पंजीयन दिनांक —12.09.2017
निर्णय दिनांक —04.12.2018

1. श्री रामचन्द्र पिता श्री शंकर रेगर, निवासी बरड़ा बोरखेड़ी, तहसील निम्बाहेडा, जिला चित्तौड़गढ़।
2. श्री जमनालाल पिता श्री पोखर रेगर, निवासी बरड़ा बोरखेड़ी, तहसील निम्बाहेडा, जिला चित्तौड़गढ़।
3. श्री शिवलाल पिता श्री भाना रेगर, निवासी बरड़ा बोरखेड़ी, तहसील निम्बाहेडा, जिला चित्तौड़गढ़।

—अपीलान्टस्

**बनाम**

1. रफी अहमद बरकाती पिता मन्जरूल हसन बरकाती, निवासी मोहल्ला पांच बत्ती, बरकात अहमद रोड़, सिया मंजिल, टोंक।
2. हुसैन अहमद पिता मन्जरूल हसन बरकाती, निवासी मोहल्ला पांच बत्ती, बरकात अहमद रोड़, सिया मंजिल, टोंक।
3. सुफयान अहमद पिता मन्जरूल हसन बरकाती, निवासी मोहल्ला पांच बत्ती, बरकात अहमद रोड़, सिया मंजिल, टोंक।
4. मु. नजमा पिता मन्जरूल हसन बरकाती, निवासी मोहल्ला पांच बत्ती, बरकात अहमद रोड़, सिया मंजिल, टोंक।
5. अफसार पिता मन्जरूल हसन बरकाती, निवासी मोहल्ला पांच बत्ती, बरकात अहमद रोड़, सिया मंजिल, टोंक।
6. मु. सुफिया पिता मन्जरूल हसन बरकाती, निवासी मोहल्ला पांच बत्ती, बरकात अहमद रोड़, सिया मंजिल, टोंक।
7. मु. इनाम बेगम पिता मोवली मो. शरीफ, निवासी मोहल्ला पांच बत्ती, बरकात अहमद रोड़, सिया मंजिल, टोंक।

8. मु. आमना पिता मोवली मो. शरीफ, निवासी मोहल्ला पांच बत्ती, बरकात अहमद रोड़, सिया मंजिल, टोंक।

9. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, निम्बाहेडा।

10. ग्राम पंचायत बडोली घाटा, तहसील निम्बाहेडा जरिये सरपंच।

–रेस्पोडेन्टस्

उपस्थितिः–

1. श्री नरेन्द्र सोनी – वकील रेस्पोडेंट संख्या–1 से 8

अपील अन्तर्गत धारा–76 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरुद्ध निर्णय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेडा प्रकरण संख्या 37/2016 दिनांक 29.06.2017

## निर्णय

दिनांक 04.12.2018

अपीलान्ट द्वारा यह अपील अन्तर्गत धारा–76 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरुद्ध निर्णय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेडा प्रकरण संख्या 37/2016 दिनांक 29.06.2017के विरुद्ध पेश की गई है।

इस प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्टस् द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में एक अपील इस आशय से प्रस्तुत की कि मौजा बडौली घाटा में खाता संख्या 295 आराजी न. 1386 रकबा 2.2300 हेक्टेयर भूमि स्थित है जिसके पुराने नम्बर 890 रकबा 8 बीघा 16 बिस्वा भूमि स्थित है। यह भूमि माफी की होकर कब्जा पिछले 50 वर्षो से भी अधिक से अपीलान्टस् एवं उनके पिता शंकर एवं पोखर का चला आ रहा है। उपरोक्त आराजी की खातेदारी घोषणा हेतु अपीलान्ट ने एक दावा 10/2016 वाद भी प्रस्तुत कर रखा है, जो विचाराधीन है। उपुर्यक्त प्रकरण में मोलवी मोहम्मद शरीक का सम्मन अखबार में शाया करा गया परन्तु उसके अनुपस्थित होने से एक तरफा कार्यवाही के आदेश दिये गये एवं प्रकरण शहादत वादी नियत था परन्तु इसी बीच राजस्व अभियान में यह पत्रावली दिनांक 22.06.2016 को अरनिया जोशी कैम्प में रखी गई एवं रेस्पोडेंटस् द्वारा मोलवी मोहम्मद शरीफ का वारिसान बता कर तहसीलदार, निम्बाहेडा के यहा विरासत नामान्तरकरण का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। तहसीलदार, निम्बाहेडा द्वारा प्रार्थना पत्र स्वीकार कर नामान्तरकरण संख्या 343 खोला गया। उक्त नामान्तरकरण के विरूद्ध अपीलान्टस् द्वारा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेडा समक्ष अपील प्रस्तुत की गई।

अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेडा द्वारा उक्त पत्रावली लोक अदालत कैम्प कोर्ट बडोली घाटा में रख निर्णय दिनांक 29.06.2017 से अपील अपीलांटस् अस्वीकार कर खारिज की।

उक्त निर्णय से क्षुब्ध होकर अपीलान्ट द्वारा यह अपील पेश की गयी है।

यह अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्टस् को जरिये नोटिस सूचित किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय से अभिलेख मंगवाया गया। वकील रेस्पोडेंट संख्या–1 से 8 उपस्थित, जिनकी एकतरफा बहस दिनांक 20.11.2018 को सुनी गई। वकील अपीलान्ट को निर्णय से पूर्व लिखित बहस प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया। वकील अपीलान्ट द्वारा लिखित बहस प्रस्तुत की गई।

विद्वान अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपनी लिखित बहस में बताया कि विवादित आराजीयात पर अपीलान्टस् एवं उसके पूर्वजों का पिछले 60 वर्षो से कब्जा चला आ रहा है। विक्रम संवत् 2026–29 की खसरा गिरदावरी में अपीलान्ट के पिता शंकर पोखर का काश्तकार के रूप में कब्जा अंकित है तथा अपीलान्टस् उपयोग उपभोग करते हुए आये है और आज भी कर रहे है। रेस्पोडेंटस् का उक्त भूमि पर कभी कब्जा नहीं रहा, वह ना कभी वहा गये, ना ही उक्त भूमि की यथास्थिति और अवस्थिति को जानते है। उक्त इन्तकाल मोलवी शरीफ की मृत्यु पश्चात विरासत से इन्तकाल नम्बर 343 दिनांक 06.10.2016 से अंकन हुआ है जबकि मोलवी शरीफ की मृत्यु का प्रस्तुत प्रमाण पत्र से मृत्यु दिनांक 10.05.1966 को होना अंकित किया गया है, जिससे यह इन्तकाल 50 वर्षो से भी ज्यादा देरी से सम्बन्धित ग्राम पंचायत एवं पटवार हल्का बडोली घाटा तहसील निम्बाहेडा द्वारा बिना तथ्यों की जांच किये, विरासत की जांच की किये बिना, मौके रिपोर्ट प्राप्त किये बिना, मिथ्या दस्तावेजों एवं कुटरचित संजरे की बनावटी दस्तावेजों के आधार पर खोला गया जो काबिल निरस्त के है। अपीलान्टस् के पिछले 50 वर्षो से निरन्तर एवं र्निविवाद रूप से काबिज काष्त होने पर एडवर्स पजेशन के आधार पर भी अपीलान्टस् खातेदारी अधिकार प्राप्त करने के अधिकारी है। इस सम्बन्ध में अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी समक्ष एक घोषणा व स्थाई निषेद्याज्ञा का वाद दर्ज होकर विचाराधीन है। वारिसान की जांच तहसीलदार, टोंक द्वारा किया जाना बताया जिससे जहा भूमि स्थित है, उस क्षेत्र के नहीं होकर अन्य जिले के होने से वस्तुस्थिति की भूल होना संभव है। कब्जे की जांच भी आवश्यक भी जो नहीं कराई गई। रेस्पोडेंटस उक्त वर्णित आराजी को अपीलान्टस् से हडपना चाहते है जिसके चलते रेस्पोडेंट वर्ष 2016 में ही इन्तकाल खुलवाने के लिए जरूरी सभी दस्तावेज जिनमें परिवार के अन्य सदस्यों के मृत्यु प्रमाण पत्र, राशन कार्ड इत्यादि फर्जी तरिके से निर्माण कराया और येन केन प्रकारेण नामान्तरकरण स्वीकृत कराया एवं उक्त

आराजी को आगे विक्रय करने बाबत ईकरार आदी भी कर लिया जिस पर अपीलान्टस् ने मुल्जिमानों के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट संचया 454/2016 पुलिस थाना निम्बाहेडा में दर्ज कराई जिसमें जांच अधिकारी द्वारा मुल्जिमानों के विरूद्ध उनके द्वारा किये गये फर्जीवाडें के लिए दोषी मानते हुए चालान पेश किया है।

विद्वान वकील अपीलान्ट ने यह भी लिखित बहस में बताया कि मोलवी शरीफ एक जागीरदार था जिसके मोजा बडोली घाटा पटवार हल्के में 73 बीघा का खाता था। प्रस्तुत संवत् 2026-29 की गिरदावरी से स्पष्ट है लेकिन वो अपने जीवन काल में ही देश विभाजन कें समय कब्जेदारों को कब्जा सौंप कर चला गया था। कब्जेधारियों ने उक्त 72 में अपने-अपने कब्जें को अपने नाम अलोट करवा लिया परन्तु अपीलान्टस् अपने कब्जे की 2.2300 हैक्टेयर भूमि को जानकारी के अभाव एवं आर्थिक तंगी सें अपने नाम इन्द्राज नहीं करा सके लेकिन उक्त आराजी पर अपीलान्टस् संवत 2026 से अपने पिता के जमाने से लगातार काबिज है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में बडोली ग्राम पंचायत में लगे राजस्व शिविर में अपीलान्टस् को बिना सुनवाई का अवसर दिये प्रकरण फैसल कर दिया जो विधि विरूद्ध है। उक्त आराजी के कब्जे बाबत प्रस्तुत पटवारी रिपोर्ट में भी कब्जा काश्त अपीलान्टस् का ही है जिससे स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व बडोली घाटा द्वारा खोला गया इन्तकाल संख्या 343 दिनांक 06.10.2016 विधि विरूद्ध होकर काबिल निरस्त है। अन्त में अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय को अपास्त किये जाने का अनुरोध किया है।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या-1 से 8 ने अपनी बहस में बताया कि मौजा बडोली घाटा की विवादित आराजीयात भूमि मोलवी मोहम्मद शरीफ के समय की होकर उन्हीं की खातेदारी व कब्जे काश्त में चली आ रही है। पारिवारिक कारणों से वह अपने पैतृक गांव चले गये थे, परन्तु विवादित भूमि का कब्जा उनके अधिकार क्षेत्र में था, वह काश्त कराते व फसल लेते रहे। उनकी मृत्यु के बाद विरासत का नामान्तरकरण उनके विधिक वारिसान के नाम स्वीकृत किया गया जो पूर्णतया सही है। रेस्पोडेंटस् उक्त भूमि के वास्तविक खातेदार है इसलिए अपीलान्टस् का उस कोई अधिकार नहीं बनता है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेडा द्वारा पारित आदेश पूर्णतया विधि सम्मत होने से अपील अपीलान्ट निरस्त फरमाई जाने का अनुरोध किया।

हमने उपस्थित अधिवक्ता की बहस एवं विद्वान वकील अपीलान्ट की लिखित बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का गहनता से अध्ययन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध ग्राम बडोली घाटा के खाता

संख्या 295 की आराजी न. 1386 रकबा 2.2300 हैक्टेयर भूमि नकल जमाबन्दी 2070–73 से प्रतीत होता है कि उक्त भूमि पूर्व में मोलवी मोहम्मद शरीफ खां पिता ग्यासुद्दीन मुसलमान निवासी निम्बाहेडा के नाम दर्ज थी। उक्त भूमि विरासत के आधार पर रेस्पोडेंट संख्या–1 से 8 के नाम नामान्तरकरण संख्या 343 दिनांक 06.10.2016 से उनके नाम दर्ज हुई। इस हेतु तहसीलदार, टोंक से जांच रिपोर्ट प्राप्त होने का भी अंकन किया हुआ है तथा ग्राम पंचायत बडोली घाटा द्वारा ग्राम सभा दिनांक 06.10.2016 के अनुसरण में स्वीकृत का अंकन किया गया। जमाबन्दी पर उल्लेखित अंकन के अनुसार रेकर्डेड खातेदार मोलवी मोहम्मद शरीफ खां की मृत्यु उपरान्त उसकी विरासत से नामान्तकरण पूर्ण विधिक प्रक्रिया अपनाते हुए खोले जाने से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपील अपीलान्ट अस्वीकार की, जो विधि सम्मत प्रतीत होता है। अपीलान्ट के कब्जे के मौखिक कथनों पर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेडा द्वारा निर्णय दिनांक 29.06.2017 में विस्तृत विवेचन किया गया है।

अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेडा द्वारा प्रकरण में प्रस्तुत दस्तावेजों पर विचार कर, सम्पूर्ण तथ्यों की पूर्ण विवेचना एवं विश्लेषण करते हुए, विधिसम्मत निर्णय पारित किया जाना प्रतीत होता है, जिसमें हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित नहीं समझते है।

अतः अपील अपीलान्ट अस्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेडा का निर्णय दिनांक 29.06.2017 यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 04.12.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

( भवानी सिंह देथा )
संभागीय आयुक्त,
उदयपुर